



प्रेषक,

राज कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 06 अगस्त, 2026

विषय:- 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' के अन्तर्गत जनपदों में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1163/सं०नि०-15(53)/2026-27 दिनांक 04 अगस्त, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शासनादेश संख्या- 183/2026/ 2084/ चार-2026-1955062 दिनांक 31 जुलाई, 2026 के क्रम में दिनांक 09 से 17 अगस्त, 2026 तक 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' को उत्सव के रूप में मनाये जाने हेतु प्रदेश के बड़े जनपदों को ₹0 10.00 लाख प्रति जनपद तथा छोटे जनपदों को ₹0 5.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नवत् प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

जनपद	धनराशि
प्रदेश के 17 जनपद - लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, शाहजहांपुर, झांसी, सहारनपुर (प्रति जनपद ₹0 10.00 लाख)	170.00 लाख
प्रदेश के 58 जनपद - अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर (भदोही), संभल, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव। (प्रति जनपद ₹0 05.00 लाख)	290.00 लाख
योग (₹0 चार करोड़ साठ लाख मात्र)	460.00 लाख

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' को उत्सव के रूप में मनाये जाने के संबंध में जनपदों में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं अन्य गतिविधियों हेतु **₹0 460.00 लाख (₹0 चार करोड़ साठ लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए धनराशि प्रदेश के समस्त जनपदों के जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद् के पक्ष में अवमुक्त करने की अनुमति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनांक-28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
 - (3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
 - (4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
 - (5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
 - (6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
 - (7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
 - (8) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निर्वर्तन पर है, अतः बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
 - (9) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (10) जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद् द्वारा प्राप्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय विवरण से संस्कृति निदेशालय को एक माह में अवगत कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-13-आजादी का अमृत काल महोत्सव-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।
4. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -4/2026/बी-1-812/ दस-2026-231/2025, दिनांक-28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

**भवदीय,
राज कुमार
संयुक्त सचिव।**

संख्या- 189 /2026 / 2236 (1) /चार-2026-2075479 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त जिलाधिकारी/ अध्यक्ष, जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद्, उत्तर प्रदेश।
- 2- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 3- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,
राज कुमार
संयुक्त सचिव।**